



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार

संख्या : -12/49/गोपन/जी0आई.सी-14/2015-16,

दिनांक : 18 सितम्बर, 2015

सूचना/विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12 जून, 2015 को घोषित उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा सामान्य/महिला शाखा परीक्षा-2014 स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम में महिला शाखा के अन्तर्गत विषय संगीत (गायन), पद कोड-20 हेतु 01 रिक्त पद (अनारक्षित) के सापेक्ष अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया गया था। सन्निरीक्षणोपरान्त उक्त अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थी अनर्ह घोषित कर दिये गये हैं। अतः अपेक्षित संख्या में साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण मा0 आयोग के निर्णय के अनुक्रम में निम्नवत् अनुक्रमांकों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा हेतु मेरिट के आधार पर औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया गया है-

711768

719048

744478

नोट-

1. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑन लाईन आवेदन-पत्रों में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण इत्यादि से सम्बन्धित दावे के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना शेष है। सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतः औपबन्धिक है। साक्षात्कार परीक्षा/अंतिम चयन से पूर्व समस्त दावों एवम् अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया जायेगा। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावे असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

2. सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अलग से साक्षात्कार ज्ञाप प्रेषित नहीं किया जायेगा, अपितु साक्षात्कार ज्ञाप एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित किये जायेंगे, जिसको अभ्यर्थी

81

- 2 -

आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां भरने के पश्चात साक्षात्कार के समय समस्त अभिलेखों सहित उपलब्ध करायेगा।

3. इस घोषित परीक्षा परिणाम के पश्चात् प्रवक्ता विषय संगीत (गायन), महिला संवर्ग (सामान्य) के दिनांक 12 जून, 2015 को जारी कट ऑफ मार्क्स 60.50 के स्थान पर संशोधित कट ऑफ मार्क्स 57.75 होगी।

(एस0एन0पाण्डे)
सचिव।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण को मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण के अवलोकनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक/अपर सचिव विधि/वित्त नियंत्रक।
3. अनुभाग अधिकारी, सेवा-1 अनुभाग को इस आदेश के साथ कि उक्त तीन अभ्यर्थियों से आवश्यक प्रपत्र एवं विवरण मंगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें।
4. व्यवस्थाधिकारी को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. अनुभाग अधिकारी आई0टी0 को उक्त परीक्षाफल आयोग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।

सचिव।
18.09.2015